प्रारूप – 2

[देखिये पैरा 3(2), 7(1)]

LETTER OF AUTHORITY

In pursuance of Order No…….. Dated …… and subject to the conditions laid down therein the Letter Authority is hereby granted to M/s …… as Pollution Checking Centre to issue Pollution Under Control Certificate for Petrol /Diesel / LPG/CNG Vehicles in accordance with provision under Rule 115(7) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989. This Letter of Authority is valid upto ……..

He will follow all the conditions laid down here with.

Authorised Officer
(District Transport Officer)

Station code no.

Date of Issue
(……..)

Date of Renewal	**Receipt No.**	**Valid upto**

शर्तेः-

1. प्रदूषण जांच केन्द्र को मोटर यान अधिनियम, 1988 इसके अधीन बने नियमों तथा परिवहन विभाग के द्वारा जारी मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम 2005 की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
2. प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा यह प्राधिकार पत्र वाहन स्वामियों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून अथवा विभाग के द्वारा जारी मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम – 2005 के अधीन केन्द्र के परिसर की जांच करने के लिए अधिकृत जांच / निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. प्रदूषण जांच केन्द्र को प्रदूषण जांच यंत्र क्रय करने की रसीद की फोटो प्रति प्राधिकार पत्र जारी होने के 15 दिन की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
4. प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा केवल वही गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर प्रदूषण जांच में प्रयुक्त लिये जायेंगे जो मोटर यान नियम, 1989 के नियम 116 के अन्तर्गत अधिकृत संस्था से अनुमोदित हो।
5. प्रदूषण जांच यंत्र के साथ प्रिन्टर का उपयोग आवश्यक रूप से किया जावे। प्रिन्टर से प्राप्त रिपोर्ट में निकलने वाली गैस का रिकार्ड आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए तथा उस रिकार्ड के आधार पर वाहन में आवश्यक सुधार किये जाने के पश्चात ही प्रमाण पत्र एवं स्टीकर जारी की जावे।
6. प्रदूषण जांच केन्द्र राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा ही जारी की गयी रसीद बुक, स्टीकर एवं अन्य संबंधित स्टेशनरी प्रयुक्त करेगा।
7. वाहन की जांच के बाद जारी प्रमाण पत्र के साथ उत्सर्जित गैस का प्रिन्टेड विवरण भी लगाया जायेगा।
8. परिवहन आयुक्त द्वारा निर्देशित किये जाने पर प्राधिकृत जांच केन्द्र को अपने तकनीकी कर्मचारियों को किसी विहित संस्थान में जांच केन्द्र के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त कराना होगा ।
9. प्राधिकृत जांच केन्द्र समय-समय पर वाहन स्वामियों की जानकारी हेतु मोटर यान प्रदूषण से संबंधित वस्तु परख साहित्य उपलब्ध करायेगा ।
10. प्राधिकृत जांच केन्द्र के परिसर में मोटर यानों के अन्दर आने और बाहर जाने हेतु समुचित व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि परिसर के आस-पास सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरूद्व नह हो ताथा परिसर के अन्दर वाहनों की प्रदूषण जांच संबंधी जांच

क्रमानुसार सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके। प्रदूषण संबंधी जांच सावर्जनिक मार्ग पर न की जाकर प्राधिकृत एजेन्सी के परिसर में ही की जायेगी।

11. प्राधिकृत जांच केन्द्र के गैस एनालाइजर /स्मोक मीटर तथा अन्य उपकरण सैदव ऐसी स्थिति में रखे जायेंगें कि वे केन्द्रीय मोटर यान निमयों की अपेक्षाओं की पूर्ति करें।
12. यदि किसी समय एक्जास्ट गैस एनालाइजर / स्मोक मीटर आदि उपकरण केन्द्रीय मोटर यान नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप चालू हालत में न हों तो मोटर यानों की जांच का कार्य निलंबित कर दिया जाएगा और वाहन स्वामियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जायेंगें।
13. एक्जास्ट गैस एनलाइजर/ स्मोक मीटर से जांच का कार्य केवल इस बाबत प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी द्वारा ही किया जाएगा और प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर केवल उस अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाएंगे जिसके नमूने के हस्ताक्षर क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हों।
14. यदि प्रमाण – पत्र जारी करने के लिए व्यक्ति द्वारा केन्द्र की सेवा से त्यागपत्र दे दिया जाता है अथवा केन्द्र अधिकृत व्यक्ति में परिवर्तन करता है तो तत्काल ही संबंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में ऐसी सूचना दी जायेगी।
15. प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण – पत्र जारी करने के पूर्व उसमें सभी अपेक्षित प्रविष्टियां को पूर्ण किया जायेगा और कोई अधूरा प्रमाण – पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
16. प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा केवल ऐसे वाहनों को जांच के उपरांत प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकेंगे जो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के प्रावधानों के अनुरूप हों, ऐसे किसी भी वाहन को जो नियम 115 के उपबन्धों के अनुरूप न हो, प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
17. प्राधिकृत जांच केन्द्र वाहन स्वामी से प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित फीस की रकम ही वसूली करेगा।
18. प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण-पत्र के विहित प्रारूप से भिन्न प्रारूप पर कोई प्रमाण – पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
19. प्राधिकृत जांच केन्द्र वाहन स्वामी से प्रमाण – पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर निर्धारित फीस की रकम ही वसूली करेगा। प्राप्त की जाने वाली फीस की प्रत्येक रकम की वाहन स्वामी को रसीद दी जायेगी।
20. प्राधिकृत जांच केन्द्र प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय को प्ररूप ''4'' में एक त्रैमासिक विवरण भेजेगा।
21. प्राधिकृत जांच केन्द्र वाहन स्वामियों की शिकायतों एवं उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु एक ''शिकायत/सुझाव पुस्तिका'' रखेगा जो वाहन स्वामी द्वारा मांग किए जाने पर उसे सुझाव / शिकायत अंकित करने के लिए उपलब्ध करायेगा।

22. प्राधिकृत जांच केन्द्र के द्वारा परिसर के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण हेतु सुविधा, आवश्यक अभिलेख एवं सहयोग दिया जाएगा।
23. यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त /निलंबित कर दिया जाता है तो वाहनों को प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य तत्काल बंद कर दिया जाएगा।
24. राज्य सरकार अथवा परिवहन आयुक्त इस आदेश के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगें, ऐसे प्रसारित निर्देशों का पालन बंधनकारी होगा।